महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

निविदा प्रपत्र संख्या : प्रशा./एफ-62/2017/639-43 दिनांक : 31.03.2017

निविदा विज्ञप्ति

परिसर स्थित जलपान गृह चलाने हेतु अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें दिनांक 22.04.2017 अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 2:30 बजे खोली जाएँगी। निविदा प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mjpru.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा प्रारूप के साथ रु0 500/- निविदा शुल्क तथा रु0 10,000/-(धरोहर राशि) वित्त अधिकारी, एम. जे.पी.रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना आवश्यक है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषितः-

1. वित्त अधिकारी
2. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, टेण्डर नोटिस वेबसाइट पर लोड करने हेतु।
4. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड पर व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए चस्पा करने हेतु।
5. व्यैक्तिक सहायक कुलसचिव।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

कुलसचिव

पत्रांक : रु0वि0/प्रति0/निविदा/एफ-62/2017 दिनाँक : 31.03.2017

विश्वविघालय परिसर स्थित जलपान गृह हेतु निविदा

प्रेषक :

मै0 ....

....

....

सेवा में,

कुलसचिव, एम0जे0पी0
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

.... समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सं0 .... दिनाँक .... के सन्दर्भ में मै .... पुत्र श्री .... एत्द द्वारा यह धोषण करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत परिसर स्थित जलपान गृह चलाने के लिए सहमत हूँ तथा विश्वविद्यालय को किराया रू .... (... ....) प्रतिमाह देने की दरें अंकित कर रहा हूँ।

(1) मैं विश्वविद्यालय द्वारा पृष्ठांकित निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत उपर्युक्त दरों पर कार्य कराने के लिए सहमत हूँ।

(2) धरोहर राशि(अर्नेस्ट मनी) ड्राफ्ट नं0 .... दिनाँक .... धनराशि रु0 10,000/--जो वित्त, अधिकारी एम0जे0पी0रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के पद नाम देय है, इस निविदा के साथ संलग्न है।

(3) यदि उपर्युक्त निविदा मेरे नाम स्वीकृत कर दी जाती है और यदि निविदा स्वीकृति के बाद निर्धारित समय में अनुबन्ध हस्ताक्षर करके निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत निर्देशित कार्य किसी कारणवश नहीं करता हूँ तो मेरी उक्त धरोहर राशि जब्त कर ली जाये।

दिनाँक : हस्ताक्षर

पूर्ण नाम –

फोन नं0 .... मोबाइल नं0 .... पैन नं ....

पता –

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

कैन्टीन हेतु निविदा की शर्ते

1. विश्वविद्यालय कैन्टीन भवन पर ही खाद्य सामग्री की बिक्री की जायेगी, किसी अन्य स्थान पर नहीं।
2. विश्वविद्यालय कैन्टीन में हीटर का प्रयोग नही किया जायेगा। बिजली का व्यय ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा और उसके लिये उसे अपने खर्चे पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की उपस्थिति में सब-मीटर लगवाना होगा।
3. कैन्टीन संचालक द्वारा पीने के पानी हेतु आर0ओ0/वाटर प्यूरिफायर स्वंय जलपान गृह में लगवाया जाएगा।
4. ठेकेदार द्वारा कैन्टीन में किसी प्रकार की तोड़-फोड़ या निर्माण में परिवर्तन/परिवर्धन विश्वविद्यालय प्रशासन की पूर्व अनुमति के बाद ही किये जा सकेगें।
5. कैन्टीन की स्वच्छता तथा उसमें आवश्यकतानुसार फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था का दायित्व ठेकेदार का होगा।
6. कैन्टीन मे जो भी खाद्य सामग्री बेची जायेगी उसकी विश्वविद्यालय से अनुमोदित रेट लिस्ट कैन्टीन मे अनिवार्य रूप से लगानी होगी। उक्त रेट्स समय-समय पर विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बाद ही परिवर्तित किये जा सकेगें।
7. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली बैठको/कार्यक्रमों मे जो सामग्री निर्देशानुसार आपूर्ति की जायेगी वह विधिवत पैकिंग में की जायेगी तथा ऐसी आपूर्ति ठेकेदार द्वारा रेटलिस्ट में निर्धारित दरों के बजाये सब्सीडाइज्ड दरों पर विश्वविद्यालय से आपसी समझौते के आधार पर की जायेगी।
8. कैन्टीन में किसी प्रकार के मादक द्रव्यों जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू इत्यादि भी शामिल है, की बिक्री नही की जायेगी।
9. विश्वविद्यालय प्रशासन या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारियों को कैन्टीन में बेची जाने वाली सामग्री की समय-समय पर जाँच कराने का पूर्ण अधिकार होगा, यदि कोई अन-हाईजीनिक पदार्थ बिक्री हेतु कैन्टीन में पाया गया तो विश्वविद्यालय फूड एण्ड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत उनके सैम्पल भी भरवा सकता है।
10. **कैन्टीन का ठेका प्रथम बार में एक वर्ष के लिये किया जायेगा और इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की संस्तुति के आधार पर प्रतिवर्ष किराये में 10% की वृद्धि करते हुए 03 वर्षो तक बढ़ाया जा सकेगा।** परन्तु विश्वविद्यालय के माननीय सदस्यों,अधिकारियों,कर्मचारियों अथवा छात्रों की शिकायतो पर जाँचोपरान्त विचार करने

के उपरान्त बिना कोई कारण बताए उक्त ठेका निर्धारित अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है।

11. समय से पूर्व ठेका समाप्त करने के लिये पूर्व नोटिस विश्वविद्यालय के स्तर से जारी करना अनिवार्य होगा।

12. निविदादाता को सम्बन्धित कार्य का न्यूनतम 03 वर्षो का अनुभव होना चाहिए।

13. उन्हीं ठेकेदारों की निविदाओं पर विचार किया जा सकेगा जो अपनी निविदा के साथ रू 10,000/- की धरोहर राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के पद नाम के पक्ष में बनवाकर लगा कर देगें।

14. ठेका स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित फर्म को रू 2.00 लाख की पोस्ट आफिस एन.एस.सी. अथवा किसी राष्टीयकृत बैंक का फिक्स डिपाजिट वित्त अधिकारी, एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के नाम प्लेज करना हेागा। अनुबन्ध की शर्तो के उल्लघन पर इस धनराशि को विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

15. विश्विद्यालय को किसी भी निविदादाता की निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकारी होगा।

16. विवाद की स्थिति में कुलपति, एम.जे.पी.रूहेलख्ण्ड विश्वविद्यालय, बरेली का निर्णय अन्तिम होगा जिसे ठेकेदार को मानना अनिवार्य होगा।

17. न्यायिक विवाद की स्थिति में सिविल न्यायालय, बरेली का न्याय मान्य हेागा।

18. ठेकेदार द्वारा उपर्युक्त शर्तो के अधीन ठेका स्वीकृति के 15 दिन के अन्दर निर्धारित रू100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध हेतु हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

19. निर्धारित तिथि तक निवेदित धनराधि जमा न करने पर विश्वविद्यालय को ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होग।

20. निविदादाता द्वारा दी गयी निवेदित दरों का भुगतान प्रतिमाह अग्रिम के रूप में किया जायेगा।

21. निर्धारित तिथि तक निवेदित धनराशि जमा न करने पर विश्वविद्यालय को ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

22. निविदायें दिनॉक 22.04.2017 की अपरान्ह 2:00 बजे तक पंजीकृत डाक/वाहक के माध्यम से स्वीकार की जाएगी तथा उसी दिन साय 2:30 बजे खोली जायेगी।

कुलसचिव